राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

‘‘इन्वेस्टिगेशन ऑफ आर्गेनाइज्ड क्राइम’’

<u>कोर्स रिपोर्ट</u>

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में प्रशिक्षण निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के निर्देशानुसार ‘‘इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम’’ विषय पर 05 दिवसीय कोर्स दिनांक 16.07.2018 से 20.07.2018 तक आयोजित किया गया है।

इस कोर्स में राजस्थान के विभिन्न जिलों से कुल 15 प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभागिता दर्ज कराई। इस कोर्स के कोर्स डायरेक्टर श्री सुरेन्द्र शर्मा, पुलिस उप अधीक्षक राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर ने कोर्स की प्रस्तावना के साथ कोर्स की शुरूआत कर इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के विभिन्न आयामों के बारे में बताया।

Sitting Row L to R = Manju Kumari, Kaptan Singh, Surendra Sharma Dy.S.P, Rajesh Sharma IPS (Dy. Director), Rajendra Singh Addl.S.P, Azad Kalam, Niranjan Pratap Singh

Ist Row L to R = Pawan Kumar Meena, Paba Ram Choudhary, Yashpal Singh,Jitendra Singh, Murli Dher, Navdeep Singh, Lalit Kishor

IInd Row L to R = Ramesh Pannu, Digvijay Singh, Chaina Ram Chaudhary

प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि प्रात: 10.30 से सांय 05.00 तक रही है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विषय पर विभिन्न कानूनों की जानकारी, संगठित अपराधों से सम्बन्धित जानकारी, साक्ष्य संकलन करने की प्रक्रिया, गिरफ्तारी एवं आरोप पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जानकारी विभिन्न विषय विशेषज्ञों द्वारा दी गई। आमंत्रित अतिथि व्याख्याताओं ने उपस्थित होकर व्याख्यान दिये, साथ ही भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत एवं मौजूदा पुलिस अधिकारियों ने अपने अनुभव प्रशिक्षणार्थियों से साझा किये।

कोर्स के दौरान प्रथम दिवस को श्री एम एम अत्रे आई जी पी रिटा0 ने एफआईआर का मसौदा तैयार करना, संगठित अपराध के विभिन्न अपराधों और गिरफ्तारी और नवीनतम संशोधन में कानूनी प्रावधान के संदर्भ में तथा जालसाज़ी के संबंध में जानकारी प्रदान की। श्री सुरेन्द्र शर्मा, उप अधीक्षक पुलिस, राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर ने संगठित अपराध के विषय पर सामुहिक चर्चा की। श्री ओम प्रकाश उप पुलिस अधीक्षक (से.नि.) ने बाल यौन व्यभिचार एवं व्यावसायिक यौन शौषण महिलाओं और लड़कियों के तस्करी फिरौती के लिए अपहरण की जांच एवं राजमार्ग पर डकैती पर अपने व्याख्यान दिये।

द्वितीय दिवस को श्री आर0एस0 बत्रा सेवानिवृत आर0ए0एस0 ने भूमि धोखाधड़ी से संबंधित अपराध की जांच - डबल पट्टा, नकली समझौतों, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट (टीपीए) अटॉर्नी की शक्ति रिकॉर्ड और संबंधित विवादों में छेड़छाड़ करने संबंधी जानकरी प्रदान की। इन्होंने राजस्थान के सरकारी अधिनियमों की नवीनतम जानकारी प्रदान की। जमीन विवादों के बारे में तथा निराकरण के नियम नवीनतम सर्वोच्च न्यायलय के पारति नियमों की प्रेरणादायक जानकारी प्रदान की। श्री सुरेन्द्र शर्मा, उप अधीक्षक पुलिस, राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर ने संगठित अपराध के विषय पर सामुहिक चर्चा की।

तृतीय दिवस को श्री आर.एस. शर्मा से.नि. सहायक निदेशक एफ.एस.एल. जयपुर ने इन्टेरोगेशन टेक्निक्स में डॉक्यूमेन्ट एवं डिजिटल साक्ष्य संकलन की अद्यतन वैज्ञानिक तकनीकों की सम्पूर्ण जानकारी दी। डिजिटल एवीडेन्स को कैसे एकत्रित करें कि नष्ट ना हो, की सटीक जानकारी दी एवं डिजिटल एवीडेन्स के प्रकार, विशेषताएं, कम्प्यूटर की उपयोगिता के बारे में रोचक जानकरी प्रदान की। श्री श्रीचन्द, एडीपी राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर ने कुछ केस स्टडीज और धारा 401, 402 आईपीसी के लिए विशेष संदर्भ के साथ गंभीर संगठित अपराधों में अभियोजन के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की।

चतुर्थ दिवस को श्री जी.एल. शर्मा से.नि. पुलिस महानिरीक्षक ने संगठित अपराधों के मामलों के अध्ययन के साथ संगठित अपराध कारणों, प्रकार, एवं विभिन्न अवधारणों पर अपने सम्पूर्ण सेवा काल के अनुभव का अवलोकन प्रस्तुत करते हुए विधिक तकनीकों की सम्पूर्ण जानकारी दी तथा संगठित अपराध क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं तथा इस अपराध के होने कारण क्या हैं इत्यादि के बारे में अपने व्यक्तिगत अनुभव तथा सरकारी जीवन में आई चुनौतियों एवं समाधान के अनुभव साक्षा किये। श्री विवेक श्रीवास्तव ज्वाइन्ट डायरेक्टर (ई.डी.), जयपुर ने मनी सर्कुलेशन एवं मनी लॉण्डरिंग एक्ट को संबंधित अपराधों से जोड़ते हुए अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने मनी लान्डरिंग, ब्लैक मनी, डर्टी मनी और फेयर फन्डिंग मनी, पीएमएलए एक्ट 2002, ईडी द्वारा कार्यवाही, पीएमएलए की मुख्य धाराओं के बारे में बताया। श्री ओम प्रकाश उप पुलिस अधीक्षक (से.नि.) ने बाल यौन व्यभिचार एवं व्यावसायिक यौन शौषण महिलाओं और लड़कियों के तस्करी फिरौती के लिए अपहरण की जांच एवं राजमार्ग पर डकैती पर अपने व्याख्यान दिये।

अन्तिम दिवस को श्री मिलिन्द अग्रवाल सायबर एक्सपर्ट ने संगठित अपराध में सैलफोन, इन्टरनेट और कम्प्युटर का उपयोग तथा जांच के सुझावों के संबंध में व्याख्यान प्रस्तुत किया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम दिवस में दिनांक 20.07.2018 को 02:15 बजे प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल समस्त प्रतिभागियों से समग्र कोर्स का मूल्यांकन प्रपत्र भरवाया गया। कोर्स का समापन-समारोह अकादमी स्थित कॉन्फ्रेन्स हॉल नं.04 में किया गया जिसमें कोर्स डायरेक्टर श्री सुरेन्द्र शर्मा, पुलिस उप अधीक्षक राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर के उद्बोधन के पश्चात् प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र वितरण किये। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्त में कोर्स के संचालन में सहभागियों एवं सम्पूर्ण प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापित कर कोर्स समाप्ति की घोषणा की गई।

(सुरेन्द्र शर्मा)
उप पुलिस अधीक्षक,
कोर्स निदेशक,
राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर